REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-28022024-252453 CG-DL-E-28022024-252453

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 891] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 28, 2024/फाल्गुन 9, 1945 No. 891] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 28, 2024/PHALGUNA 9, 1945

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2024

का.आ. 934(अ).—अब्दुल गनी भट की अध्यक्षता में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर (भट गुट) (जिसे इसमें इसके पश्चात एमसीजेके-बी कहा गया है) विधिविरुद्ध क्रियाकलापों में लिप्त रहा है, जो कि देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है;

और, एमसीजेके-बी, के प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से संबंध है और उसने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद का समर्थन किया है

और, एमसीजेके-बी के सदस्य जम्मू-कश्मीर को भारत संघ से पृथक करने के लिए भारत के विरुद्ध घृणा और असंतोष की भावना उत्पन्न करने में लगे हुए हैं;

और, एमसीजेके- बी के नेता और सदस्य, आतंकवादी क्रियाकलापों का समर्थन करने, जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बलों पर लगातार पथराव करने सहित विधिविरुद्ध क्रियाकलापों को करने के लिए पाकिस्तान और उसके परोक्षी संगठनों सहित विभिन्न स्रोतों के माध्यम से निधियां जुटाने में सम्मिलित थे; और, एमसीजेके-बी और उसके सदस्य अपने कार्यकलापों से देश की संवैधानिक सत्ता और संवैधानिक व्यवस्था के प्रति पूर्णतया निरादर दर्शित करते हैं;

और, एमसीजेके-बी ने अनेक अवसरों पर निर्वाचनों के बहिष्कार का आह्वान करके, जम्मू-कश्मीर में लोगों की इच्छाशक्ति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को हानि पहुंचाने का भी प्रयास किया है;

और, एमसीजेके-बी राष्ट्र-विरोधी और विध्वंसक गतिविधियों में सम्मिलित होते हुए; लोगों में वैमनस्य के बीज बोते हुए; लोगों को विधि-व्यवस्था भंग करने के लिए उकसाते हुए; जम्मू और कश्मीर को प्रथक करने के लिए सशस्त्र संघर्ष के प्रयोग को प्रोत्साहित करते हुए; और स्थापित सरकार के विरुद्ध घ्रणा को फैलाते हुए जम्मू-कश्मीर को भारत से प्रथक करने को बढ़ावा देने, उसमें सहायता करने और उकसाने में भी सम्मिलित है;

और, केंद्रीय सरकार कि यह राय है कि यदि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर (भट गुट) के विधिविरुद्ध कार्यकलापों पर तत्काल कोई प्रतिबन्ध या नियंत्रण नहीं किया गया, तो वह इस अवसर का निम्नलिखित के लिए प्रयोग करेगा -

- (i) देश की भौतिक अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता के लिए हानिकारक राष्ट्र-विरोधी कार्यकलापों को जारी रखना;
- (ii) भारत संघ में जम्मू और कश्मीर के विलय पर विवाद करते हुए जम्मू-कश्मीर को भारत संघ से पृथक करने का समर्थन जारी रखना; और
- (iii) भारत के विरुद्ध असंतोष उत्पन्न करने और लोक व्यवस्था को बाधित करने के आशय से जम्मू-कश्मीर के लोगों के बीच मिथ्या वृतांत और राष्ट्र-विरोधी भावनाओं का प्रचार करना जारी रखना;

और, अपर-उल्लिखित कारणों से केंद्रीय सरकार का यह दृढ़ अभिमत है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर (भट गुट) के क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर (भट गुट) (एमसीजेके-बी) को तत्काल प्रभाव से एक 'विधिविरुद्ध संगठन' घोषित करना आवश्यक है।;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा **3** की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुस्लिम कांफ्रेंस जम्मू और कश्मीर (भट गुट) (एमसीजेके-बी) को एक विधिविरुद्ध संगठन घोषित करती है।

केंद्रीय सरकार की उपर्युक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, का यह दृढ़ अभिमत है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर (भट गुट) (एमसीजेके-बी) को तत्काल प्रभाव से एक 'विधिविरुद्ध संगठन' के रूप में घोषित करना आवश्यक है, और तदनुसार, केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि यह अधिसूचना, किसी आदेश के अध्यधीन जो उक्त अधिनियम कि धारा-4 के अधीन किया जाये, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी।

[फा. सं.14017/06/2024-एनआई-एमएफओ]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2024

S.O. 934(E).—Whereas, the Muslim Conference Jammu and Kashmir (Bhat faction) (hereinafter referred to as the MCJK-B), chaired by Abdul Ghani Bhat have been indulging in unlawful activities, which are prejudicial to the integrity, sovereignty and security of the country;

And, whereas, MCJK-B has linkages with banned terrorist organizations and has supported terrorism in Jammu and Kashmir

And, whereas, the members of the MCJK-B have been indulging in generating feelings of hatred and disaffection against India to separate Jammu and Kashmir from Union of India;

And, whereas, the leaders and members of the MCJK-B have been involved in raising funds through various sources including Pakistan and its proxy organizations for perpetrating unlawful activities, including supporting terrorist activities, sustained stone-pelting on Security Forces in Jammu and Kashmir;

And, whereas, the MCJK-B and its members by their activities show sheer disrespect towards the constitutional authority and constitutional set up of the country;

And whereas, MCJK-B by giving clarion call to boycott elections on multiple occasions, has also attempted to subvert the will of people and democratic process in Jammu and Kashmir;

And whereas, MCJK-B is involved in promoting, aiding and abetting the secession of Jammu and Kashmir from India by involving itself in anti-national and subversive activities; sowing seeds of dis-affection amongst people; exhorting people to destabilise law and order; encouraging the use of armed struggle to separate Jammu and Kashmir; and promoting hatred against established Government;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that if there is no immediate curb or control of unlawful activities of the Muslim Conference Jammu and Kashmir (Bhat faction), it will use this opportunity to –

- (i) continue with the anti-national activities which are detrimental to the territorial integrity, security and sovereignty of the country;
- (ii) continue advocating the secession of Jammu and Kashmir form the Union of India while disputing its accession to the Union of India; and
- (iii) continue propagating false narrative and anti-national sentiments among the people of Jammu and Kashmir with the intention to cause disaffection against India and disrupt public order;

And, whereas, the Central Government for the above-mentioned reasons is firmly of the opinion that having regard to the activities of the Muslim Conference Jammu and Kashmir (Bhat faction), it is necessary to declare the Muslim Conference Jammu and Kashmir (Bhat faction) (MCJK-B) as an 'unlawful association' with immediate effect;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the Muslim Conference Jammu and Kashmir (Bhat faction) (MCJK-B) as an unlawful association;

The Central Government, having regard to the above circumstances, is of firm opinion that it is necessary to declare the Muslim Conference Jammu and Kashmir (Bhat faction) (MCJK-B) as an 'unlawful association' with immediate effect, and accordingly, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby directs that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect for a period of five years from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 14017/06/2024-NI-MFO] PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.